2010/00043

कोठारी स्टेशनरी, ... 230289
ता. पेठी स्टेशन

राजस्थान सरकार

(कायदा — 129)

हुक्म सिविल रूल 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के
उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला बनाम 5
88-188 R.T.A.	19/10			

बनाम

श्री शंकरलाल S/o देबीलाल खाती वगैरह — श्री संग्राम सिंह S/o शम्भु सिंह जाति राजपूत वगैरह

निवासी राजाजी का गुढ़ा — निवासी राजाजी का गुढ़ा

GLA

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट — अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार — रेस्पाडेन्ट / मदयूनाम

श्री .... श्री ....

6.5.03
13/10/09
जा. सा. 17/6
2316
16/7
1/9
1/10
12/11
24/12
दी.ता. 11/2
17/3
27/4
1/6
29/6
28/7
6/9
20/10
27/11
18/
16/

न्यायालय मानपण्ड
5/11/12
18.1.18
5-1-09
नंबर मुकदमा 16/3/09
8/6/09
18/2/09
तारीखदायर
तारीख फैसला
17/3/11
23/3
21/4
8/6
29/6
28/7
7/9
19/10
24/11

6-9-18
6/10/18
15-11-18
19/12/18
20/2/19
13/7/19
3/5/19
21/8/19
11/9/19

88-188
2018
10/5/17
9/9/2024
47/03 1/4/03
19/10
12/4/10
14.11.19
8.9.22
3.11.22
9/7/13
22/8/14
2010100043

बनाम
श्री शंकर लाल पिता देवीलाल (वादी) वगैरा (3)
निवासी राज्य भीलवाड़ा
श्री संग्राम सिंह पिता शंभू सिंह राजपूत वगैरा (5)
निवासी राज्य भीलवाड़ा

13/10/16
17/11/16
21/2/17
15/11/17
10/8/17
18/1/18
12/6/18
10/7/18
Shri S. Khan
21/12
18/1
22/2
28/3
1/5/4
27/4
1/6
8/6
11/7
1/8

अधिवक्ता वादी/प्रार्थी/अपीलान्ट/डिक्रीदार
अधिवक्ता प्रति०/विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट
RC

17/12/2014
14/1/2015
18/2/15
11/4/15
4/6/15
17/8/15
19/11/15
13/1/16
9/3/16
11/5/16
31/8/16

23/1/13
20/3
8/5
12/6
10/8
22/8/13
10/10/13
20/11/13
22/1/14
31/5/14
15/10/14
26/11/14

11/4
9/5
30/5
28/6
25/7
6/9
3/10
17/10
31/10
13/12
13/12
19/12

25/3/06
2/5
7/6
26/7/06
19/9
6-11
16-1-07
28-2-07
24-4
11-6-07
14-8-07

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

APP- A
Crim-5

बाज अदालत ________ मुकाम ________

________ बनाम ________

किस्म मुकदमा ________ नं. ________ वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/2/23	पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 7/3/23 को वास्ते बहस पेश हों। gov उप खण्ड अधिकारी	
7/3/23	पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक ~~बहस~~ 10/4/23 को वास्ते बहस पेश हो। gov उप खण्ड अधिकारी	
13/4/23	पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 20/4/23 को वास्ते बहस पेश हो। gov उप खण्ड अधिकारी	
20/4/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। वादी प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय बहस दिनांक 11/05/23 को पेश हो।	gov
11/5/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 08/06/2023 को पेश हो।	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 15/6/23 को पेश हो।
15/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 22/6/23 को पेश हो।
22/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 19/7/23 को पेश हो।
19/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में बहस सुनी जा चुकी है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर, शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम की जाती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी आर0ए0एस0

राजस्व प्रकरण संख्या 19/2010

दायर तारीख 12.04.2010

निर्णय दिनांकः– 19/07/2023

अनवान

01. शंकर [illegible]ल पिता देवीलाल जाति खाती उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
02. उंकार पिता देवीलाल जाति खाती उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
03. बंशी लाल पिता देवीलाल जाति खाती उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
04. मोडी बाई पिता देवीलाल जाति खाती उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
05. द्वारका पिता देवीलाल जाति खाती उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
06. कल्ली पिता देवीलाल जाति खाती उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
07. संतोष पिता देवीलाल जाति खाती उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

..........................वादीगण

बनाम

01. संग्राम सिंह पुत्र शम्भु सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां

...............मृतक

1.1 कमलेश कंवर पत्नि संग्राम सिंह राजपूत उगम कंवर पुत्री संग्राम सिंह जाति राजपूत उम्र नाबालिग मार्फत माता

1.2 कमलेश कंवर पत्नि संग्राम सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग

1.3 युवराज सिंह पिता संग्राम सिंह जाति राजपूत उम्र नाबालिग मार्फत माता कमलेश कंवर पत्नि संग्राम सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग

02. तेज सिंह पिता शम्भु सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां

...............मृतक

2.1 वीर प्रताप सिंह पिता तेज सिंह जाति राजपूत उम्र नाबालिग जरिये माता सरोज कंवर पत्नि तेज सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग

2.2 सरोज कंवर पत्नि तेज सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां

03. रघुवीर सिंह पिता शम्भु सिंह जाति राजपूत निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां

3.1 ओमेन्द्र कंवर पत्नि शम्भु सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा

04. जनारदन सिंह पिता शम्भूसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग पेषा खेती निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां

05. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियां

....................प्रतिवादीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्याः–02

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित अधिवक्ता वादीगण श्री गिरधारी लाल आचार्य
उपस्थित अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री जगदीश चन्द्र धाकड़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0का0अधि0

–:निर्णयः–

वादीगण ने वादपत्र अर्न्तगत धारा 88–188 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। वाद जांच वादपत्र दर्ज योग्य पाये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये गये प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन के की गयी। वादीगण के वादपत्र अनुसार भूतपूर्व गुढा के जागीरदार मनोहरसिह जी राजपूत के विरूद्व चले सिलिग प्रकरण सख्या 16 सन 1971 मे जागीरदार मनोहरसिह के नाम पर दर्ज भूमि गत बन्दोबस्ती खसरा सख्या 202 स्थित मोजा आंटी को सिलिग प्रकरण मे हुये निर्णय की कियान्वती मे अवाप्त की गयी जिसे बिलानाम सिवायचक दर्ज राजस्व अभिलेख किया गया। उसमे से आवंटन एसे काश्तकारो को किया गया जो आवंटन की विधिक पात्रता रखते है उसी के तहत उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ द्वारा वादीगण कमाक 1 से 7 तक के पिता देवीलाल पिता धुला खाती निवासी राणाजी का गुढा को मौजा आटी पटवार हल्का गुढा स्थित आराजी खसरा नम्बर 202 रकबा 07 बिघा का आवंटन विधि अनुसार आवंटी को किया गया। आवटन आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा आवंटित भूमि का मोका पर्चा बनाया गया। आवटित का नक्शा ट्रेस तैयार किया गया। आवटित भूमि का कब्जा आवंटी को दिये जाने के पश्चात उसकी राजस्व नक्शा ट्रेस गत बन्दोबस्ती नक्शा ट्रेस मे आवंटन भूमि तरमीम की गयी। आवंटी से आवटित भूमि का इकरारनामा तैयार किया जाकर आवंटी की निशानी / हस्ताक्षर करवाये गये। आवंटन प्रकिया के अनुसरण में नोतोड खसरा तैयार किया जाकर बनी वसूली योग्य राषि आवंटी को जमा करवानी थी दर्शाया गया। आवंटी द्वारा आवंटन से प्राप्त कृषि भूमि को उन्नत आबाद कर उसकी जरूरत अनुसार फेसीग कर सिचाई का साधन बनाया जाकर कृषि भूमि का उपयोग प्रारम्भ कर दिया गया। आवंटन वर्ष 1972 से आवंटी ओर उसके पश्चात उसके वारिसान द्वारा आवंटन भूमि काश्त की जा रही है। आवंटन आदेश मे जो गत बन्दोबस्ती खसरा नम्बर दर्ज है और आवंटी को कब्जा दिया गया उसका वर्तमान बन्दोबस्त मे जो नम्बरान व रकबा बना है उसका वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे जिस प्रकार विवरण दर्ज अभिलेख है उसका विवरण इस प्रकार है मौजा आटी पटवार हल्का गुढा स्थित आराजी खसरा नम्बर 447 एवं 448 रकबा 10 बिघा 12 बिस्वा जिस पर वर्तमान मे वादीगण का जरिये काश्त के कब्जा है। राजस्व रेकर्ड मे राजस्व कर्मचारियो द्वारा आवंटित भूमि का पृष्ठाकन नही करने की लापरवाही के कारण सिलिग द्वारा अवाप्त भूमि को वर्तमान राजस्व अभिलेखो मे प्रतिवादीगण कमाक 1 से 4 की खातेदारी मे दर्ज है। जबकि आवंटन के पश्चात न तो तत्कालीन जागीरदार जिसकी भूमि सिलिग मे अवाप्त की गयी वह उसके नीजी खाते अथवा उसके वारिसान के खाते मे भूमि दर्ज रही क्योकि सिलिग प्रकरण के निस्तारण के पश्चात अवाप्त भूमि सिवाय चक दर्ज की जाकर प्रतिवादी सख्या 5 के खाते मे दर्ज हो जाने की अवधारणा की जायेगी। यदि राजस्व कर्मचारियो ने किसी प्रकार से उदासीनता व लापरवाही बरत अवाप्त भूमि को सिवायचक मे दर्ज नही किया है तो उसके कारण आवंटन आदेश का निष्प्रभावी होना नही माना जा सकता है न ही गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होना जाकर उन्हे खातेदार माना जा सकता है। वादीगण जिस खसरा नम्बरान की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कराने के लिए वादीगण वाद लेकर आये है उस बाबत उनके द्वारा सारा आवंटन रेकर्ड, आवंटन कमेटी की आवंटन हेतु की कार्यवाही का रेकर्ड प्रस्तुत किया गया। किस आवंटी को किस नम्बर की भूमि मे कितनी भूमि का आवंटन किया गया उसकी सूची प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार महोदय द्वारा आवंटन की कार्यवाही पूर्ण कर जो दस्तावेज आवंटन कमेटी को भिजवाये गये वे सभी दस्तावेज वादीगण ने प्रस्तुत किये गये है वादीगण द्वारा वादग्रस्त खातेदारी की खातेदारी दिये जाने का अनुतोष मांगा है।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्याः–03

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण के द्वारा आवंटी के कब्जे काश्त वाली भूमि अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना अंकित होने को आधार बनाकर वादीगण के कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप करना प्रारम्भ करने पर वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण कमाक 1 से 4 तक को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के अनुतोष की मांग की गयी। प्रतिवादीगण कमाक 1 से 4 तक न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की पालना मे न्यायालय मे अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित हुये जिन्होने बचाव मे अपना जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण का यह बचाव अपने जवाब के माध्यम से लिया कि वादग्रस्त जायदाद गत बन्दोबस्ती खसरा नम्बरान के खसरा नम्बर 202 पर दर्ज भूमि अवाप्त नही की जाकर खसरा नम्बर 202/2 सिलिग प्रकरण मे अवाप्त की गयी। सिलिग प्रकरण मे खसरा सख्या 202/2 को अवाप्त किया गया। खसरा नम्बर 202 से किया गया आवंटन गलत है। इसलिये खसरा नम्बर 202 मे किया गया आवटन अवैध है खसरा न0 202 मे प्रतिवादीगण कमाक 1 से 4 तक खातेदार है, खसरा नम्बर 202/2 मे वादीगण को भूमि का आवंटन हुआ है जिसका प्रतिवादी सख्या 1 व 4 के नाम पर दर्ज भूमि की खातेदारी भूमि से कोई सम्बन्ध नही है। वादीगण के द्वारा जो मिलान खसरा प्रस्तुत किया गया है उससे आवंटन का कोई सम्बन्ध नही है क्योकि प्रतिवादीगण कमाक 1 से 4 की खातेदारी मे दर्ज भूमि को न तो आवटियो का भूमि का आवंटन हुआ है न ही कब्जा दिया गया। आवंटन खसरा सख्या 202 मे किया गया जिसे सिलिग कार्यवाही मे लिया गया है खसरा सख्या 202/2 का अधिग्रहण नही किया गया। खसरा सख्या 202 को खसरा सख्या 202/2 से नही जोडा जा सकता है। राजस्व रेकॉर्ड में आवंटन की कियान्विती सम्पादित नही हुयी है। इसलिए वादीगण को चाहे गये खसरा नम्बर का खातेदार काश्तकार घोषित नही किया जा सकता है खसरा नम्बर 447, 448 वर्तमान बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 202 मी से बने है इसलिए खसरा सख्या 202 में आवंटन भूमि माना जाकर वादीगण का वाद डिकी नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण कमाक 1 से 4 तक की खातेदारी भूमि का आवंटन से कोई लेना देना नही है। 30 वर्ष बाद भी राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही करवाया जाना वादीगण का उदासीनता पूर्ण कृत्य है। वादीगण को सिलिग प्रकरण मे कार्यवाही करवा आवंटन की कियान्वती करना चाहिये। वादीगण ने स्पष्ट नही किया है कि किस स्थान पर आवंटन हुआ है स्पष्ट नही किया है। वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

वादीगण ने उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ जो तत्कालीन समय मे आवंटन कमेटी के अध्यक्ष थे उनके द्वारा जारी व हस्ताक्षरित सूची पेश की। आवंटन आदेश की पालना मे की गयी आवंटी के पक्ष की कार्यवाही दस्तावेज तत्कालीन क्षैत्र के तहसीलदार माण्डलगढ की आवंटन कार्यवाही के बाद तैयार सूची जिस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है पेश की व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये।

प्रतिवादीगण ने एक जमाबन्दी गत बन्दोस्ती मे उनके नाम दर्ज भूमि की प्रति पेश की है। प्रस्तुत वादपत्र जवाब दावे एवम प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वादपत्र मे तनकीयात कायम की गयी जो इस प्रकार से है।

तनकीयात

01. आया वादीगण मोजा आंटी स्थित कृषि खातेदारी भूमि मौजा आटी पटवार हल्का गुढा स्थित आराजी खसरा नम्बर 447 एवं 448 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी पाने के अधिकारी होकर उनका वादग्रस्त जायदाद पर कब्जा है

..................जिम्मे वादीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

02. आया वादी की खातेदारी मे अभिलिखित योग्य कृषि भूमि प्रतिवादीगण वर्तमान खातेदार के नाम पर भूमिधारी द्वारा सेवन इन्द्राजी की प्रक्रिया मे गलत दर्ज की हुयी है।

..........................जिम्मे वादीगण

03. आया प्रतिवादीगण वर्तमान खातेदारान द्वारा अवैध रूप से भूमि का अन्तरण व वादीगण की खातेदारी मे हस्तक्षेप भूमि को नष्ट प्रायः करने का प्रयास अनुचित है।

..........................जिम्मे वादीगण

04. आया वादीगण वादग्रस्त जायदाद की अपने नाम पर राजस्व अभिलेखो मे इन्द्राज कराने बाबत उत्सुक नही रहने से राजस्व वाद चलने योग्य नही है।

..........................जिम्मे वादीगण

05. आया वादीगण को आवंटित की गयी कृषि भूमि की मोका स्थिती स्पष्ट नही है।

..........................जिम्मे प्रतिवादीगण

06. आया वादपत्र अवधिपार है।

..........................जिम्मे प्रतिवादीगण

07. आया वादीगण को वादपत्र लाने की लोकल स्टेण्डी नही है।

..........................जिम्मे प्रतिवादीगण

08. आया वादीगण को जिस खसरा नम्बर भूमि मे भूमि आवंटन किया गया उसकी सिलीग प्रकरण मे अवाप्त कर भूमि नही हुयी है।

..........................जिम्मे प्रतिवादीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

09. अनुतोष क्या होगा।

वादीगण से जिन वादीगण की मृत्यु हुयी उनका आवेदन देकर उनके वारिसान को पक्षकार बनाया साथ ही जैसे जैसे जिन प्रतिवादीगण की मृत्यु हुयी उनका वादीगण ने आवेदन देकर बाद अनुमति न्यायालय मृतक प्रतिवादीगण के स्थार पर प्रतिवादीगण बनाया गया है पी.डब्ल्यू एक वादी व गवाह पी.डब्ल्यू दो व पी.डब्ल्यू 3 के बयान करवाया। वादीगण का पी.डब्ल्यू एक वादी स्वय ने सशपथ बयान दिया कि वादग्रस्त जायदाद जो उसके पूर्वजो को आवंटित हुयी आवंटन कार्यवाही के कब्जा दिया गया। आवंटन से प्राप्त जायदाद कृषि भूमि को आवंटी व बाद के कब्जेधारी उन्नत आबाद व सीमाबन्द कर लिया। वादीगण उस पर काबिज होकर काश्त करते है। प्रतिवादीगण ने जब वादीगण के कब्जे वाली जायदाद को अपनी खातेदारी भूमि बताकर विवाद व जबरन कब्जा छीनना चाहा तो वादीगण वाद लेकर आये। वादीगण ने अपने प्रस्तुत दस्तावेज को प्रर्दश करवाया प्रतिवादीगण की ओर से की गयी जिरह से ऐसे कोई तथ्य गवाह की जिरह के प्रतितौर मे नही कहा जो प्रतिवादीगण के पक्ष के होकर प्रतिवादीगण के बचाव को सहायता मिली हो न ही कब्जा प्रतिवादीगण का सिद्व हुआ हो। वादी के प्रस्तुत गवाह पी.डब्ल्यू 2 व पी.डब्ल्यू 3 ने वादीगण को वादग्रस्त जायदाद पर कब्जा होने का कथन किया है साथ ही उसने मुख्य परिक्षण द्वारा वादग्रस्त जायदाद पर प्रतिवादीगण का कब्जा हो जाना स्वीकार किया हा। जिरह मे भी प्रतिवादीगण के पूछे गये प्रश्नो का स्वीकार करते हुये प्रतिवादीगण के हितो की बात कही है।

वादीगण ने साक्ष्य वादी रिबिटल रिजर्व रखते हुये अपनी साक्ष्य बन्द की।

प्रतिवादीगण की ओर से गवाह डी.डब्ल्यू एक प्रतिवादीया उपस्थित हुयी जिसने सशपथ कथन किया कि उसके ससुर के खाते की भूमि मोजा आंटी मे स्थित है जिस पर हमारा ही कब्जा है हमारे सयुक्त खाते मे भूमि दर्ज है। मेने जमाबन्दी की नकल पेश की है भूमि जो सिलिग में गयी उससे हमारा कोई सम्बन्ध नही है हमारी जमीन खाते कराने का वादी ने गलत दावा पेश कर दिया।

इस गवाह से जिरह करने पर गवाह ने वादीगण का कब्जा होने से इन्कार किया एवम वादीगण को भूमि आवटित हुयी होकर कब्जा दिया गया हो उससे इन्कार किया है।

प्रतिवादीगण ने अन्य कोई बावजूद गवाह पेश करने का अवसर दिये जाने पर भी गवाह पेश नही किये प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द की गयी।

लगातार पेज संख्याः–05

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थनापत्र आदेश 26 नियम 9–10 दि0प्र0स0 का प्रस्तुत कर कब्जे बाबत मोका रिपोर्ट मंगवाने का प्रस्तुत किया। वादीगण ने प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत कर बहस की कि पक्षकारान को अपनी जबानी ओर दस्तावेजी साक्ष्य से वाद व प्रतिवाद का सिद्व करवाना होता है। वह अपनी साक्ष्य मे रही कमी को दूर करने के लिए न्यायालय को माध्यम बना मोका रिपोर्ट नही मगवा सकता । न ही न्यायालय ऐसा कोई आदेश देगा जिससे यह स्थिती बनती हो कि पक्षकार न्यायालय अधिकारो का अनावश्यक उपयोग अपने पक्ष मे करने के लिए साक्ष्य एकत्रित करवाने हेतु कमीश्नर रिपोर्ट भी मगवाने का प्रार्थनापत्र लेकर आया हो।

बहस सुनने के पश्चात प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र सारहीन पाये जाने से खारिज किया गया। दोनो पक्षो की ओर से बहस की गयी।

वादीगण के अभिभाषक बहस करते हुये निवेदन किया कि वादीगण के पूर्वज आवटियो को सिलिग प्रकरण मे जागीरदार की अवाप्त भूमि के भूमि का आवंटन किया गया क्योकि अवाप्ती के पश्चात भूमि सिवाय चक बिलानाम भूमि के रूप मे दर्ज की गयी थी आवंटन की गयी भूमि राजस्व अभिलेखो मे आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि का चयन किया जाता है जिसकी पटवारी की आवटन हेतु भूमि मय भू अभिलेख निरीक्षक की टिप्पणी के प्राप्त होने के पश्चात तहसीलदार द्वारा भूमि आवंटन हेतु उपलब्धता की जांच कर प्रतिवेदन आवंटन कमेटी के समक्ष रखता है तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी सिलिग प्रकरण में प्रभावी अवाप्त भूमि का आवंटन हेतु मात्र कृषक काश्तकारो को किया जाता है। न्यायालय मे वादीगण की ओर से उपखण्ड अधिकारी महोदय जो आवंटन हेतु प्राधिकृत अधिकारी है उसके द्वारा जिस आवंटी काश्तकारो का अवाप्त भूमि का आवंटन किया गया उसकी सूची प्रस्तुत की है जिसे तहसीलदार को मोके पर नियमानुसार पालना के निर्देश के साथ भिजवायी सूची एंव आवटन आदेश की पालना तैयार किये गये कागजात पेश किये है।

तहसीलदार महोदय के निर्देशानुसार पटवारी हल्का ने आवंटियो को भूमि मोके पर पेमूद कर कब्जा दिया एवम अपने नक्शे मे उसकी तरमीम की गयी। नक्शा नोतोड बनाया गया लगान का निर्धारण किया गया एवम आवंटी से लिखवाये जाने वाले इकरारनामे की आवटी से पूर्ति करवाये आवंटन आदेश की पालना तैयार किये दस्तावेज तत्कालीन तहसील कार्यालय माण्डलगढ मे प्रस्तुत किये गये। तहसीलदार माण्डलगढ ने आवटन आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का ओर भू. निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये दस्तावेजो के आधार पर सूची बनाकर तत्काली उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ के समक्ष रखी गयी जिसे उपखण्ड अधिकारी महोदय ने नियमानुसार आवंटन आदेश पालना हो जाना मानकर सभी दस्तावेज सिलिग प्रकरण की पत्रावली पर रखे जाने के आदेश दिये थे जिसकी वादीगण ने प्रमाणित प्रतिया प्राप्त कर वादपत्र के साथ प्रस्तुत की है। वादीगण द्वारा भूमि आवंटित होने को जरिये साक्ष्य वादी एवम उसके गवाह से पुष्टी करवायी गयी व कब्जा वादीगण का होने को सिद्व करवाया गया है। इसके विपरित प्रतिवादीगण ने ऐसी कोई निष्पक्ष साक्ष्य नही करवायी है प्रतिवादिया स्वंय पेश व हुयी व हितबद्व गवाह है इसलिए अकेली की साक्ष्य से प्रतिवादिया का कब्जा सिद्व नही हुआ है वादीगण का डिकी फरमाया जावे। प्रतिवादीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस मे निवेदन किया है वादीगण वादग्रस्त जायदाद के खातेदार उनके खाते मे गत बन्दोबस्त मे दर्ज रहे खसरानम्बर 202/2 जिस जागीरदार के विरूद्व सिलिग प्रकरण चला उसके खाते मे दर्ज भूमि नही थी। सिलिग प्रकरण मे गत बन्दोबस्ती खसरा सख्या 202 नम्बर की भूमि अवाप्त की गयी जिसके वर्तमान बन्दोबस्त खसरा नम्बर जिसकी खातेदारी लेने के लिए वाद लाया गया। व नही बने है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी के आधार पर वादीगण का कोई प्रकरण नही बनता है वादीगण का वाद चलने योग्य नही है वादपत्र भी अवधिपार है एवम वादीगण को वाद लाने की कोई पात्रता नही है।

दोनो पक्षो के द्वारा की गयी बहस साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवम मनन किया गया इसके आधार पर प्रत्येक तनकी का निर्णय न्यायालय के मतानुसार निम्नानुसार है।

लगातार पेज संख्याः–06

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

तनकी न0 1

इन तथ्यो को सिद्व करवाने का भार वादीगण पर है वादग्रस्त जायदाद जिसका आवंटन वादीगण के पूर्वजो को किया गया उसके सम्बन्ध मे वादीगण की ओर से जो दस्तावेज पेश किये गये है जिसमे तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ के द्वारा जिन व्यक्तियो को सिलिग मे अवाप्त की गयी भूमि का आवंटन किया उसकी सूची पत्रावली पर मोजूद है जिसमे वादीगण के पिता देबीलाल जी को सात बीधा का आवंटन गत बन्दोबस्ती खसरा सख्या 202 मे किया जाना दर्शाया हुआ है। उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ की आवंटन सूची में अंकित किया गया है कि निम्न आवंटियो को सिलिंग मे अवाप्त भूमि का आवटन का आदेश दिया जाता है यह आदेश सूची उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ के हस्ताक्षर से उनके कार्यालय से जारी की जाकर तत्कालीन तहसील माण्डलगढ मे भिजवायी गयी । उक्त आवंटन आदेश की पालना आवंटी के पक्ष मे पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक ने की वे सभी दस्तावेज पत्रावली पर मोजूद है साथ ही आवंटन कार्यवाही पूर्ण होने के बाद तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा आवंटन की कियान्वती बाबत जो कागजात उनके अधिनस्थ कर्मचारियो ने तैयार किये उपखण्ड कार्यालय मे प्रेषित कर दिये गये । इस प्रकार आवंटी को भूमि आवंटित हुयी है वह संदेंहास्पद नही है जहा तक खसरा नम्बरान का अन्तर प्रतिवादीगण के अभिभाषक की ओर से की गयी आपती पर विचार करने का प्रश्न है जिससे यह स्पष्ट नही किया गया है कि 202 के टुकडे कर दर्ज की गयी वह भूमि सिलिग से प्रभावी नही है। यदि किसी बडे रकबे वाली भूमि है उसको दो हिस्सो मे बाटा जाता है तो इसको इस प्रकार से राजस्व अभिलेखो मे दर्ज अभिलेख किया जाता है मूल खसरा नम्बर को मीन शब्द अंकित कर राजस्व रेकर्ड पर रखा जाता है उसके पश्चात बटा नम्बरान मूल नम्बर के नीच 1, 2 3 वगेरा दर्ज राजस्व अभिलेख किये जाते है इससे स्पष्ट है कि आवंटन भूमि मूल नम्बर 202 है तो उसके साथ मीन शब्द नही है संभवत मनन करने बाद ऐसा लगता है कि जो खसरा नम्बर 202 का विभाजन होना बताकर खसरा सख्या 202/2 अलग नम्बर डाला गया है वह सन्देह उत्पन्न करने वाला है जो सम्भवत न्यायालय द्वारा की जा रही सिलिग कार्यवाही से अवाप्त भूमि के बाद हुयी आवंटन की कार्यवाही से बचने के लिए खसरा नम्बर 202 को टुकडो मे विभाजित करवा कर प्रतिवादीगण ने अपने खाते मे दर्ज करवायी हो।

यदि प्रतिवादीगण के आवंटन आदेश एवम आवंटन कार्यवाही के नम्बरान मे आये अन्तर को माना जाकर यह तनकी वादीगण के विरूद्व तय की जाती है तो यह स्थिती बनेगी कि आवंटन अधिकारी ने आवंटन ही गलत किया जबकि ऐसा कयास करना जिम्मेदार अफसर के लिए उचित नही होगा क्योकि भूमि की रिक्कता या उपलब्धता की रिपोर्ट होने पश्चात ही भूमि का आवंटन किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि दर्ज भूमि को प्रतिवादीगण आवटन नही मानते है ओर वर्ष 1972 के पश्चात से भूमि वादीगण के कब्जे मे थी तो प्रतिवादीगण खातेदारो ने यह आपती सक्षम अधिकारी के समक्ष क्यो नही की। क्योकि सिलिग कार्यवाही मे यदि अन्य खातेदार की भूमि अवाप्त कर ली जाती ओर उसका आवटन किया जाता है तो सिलिग कार्यवाही का प्राधिकत अधिकारी उसे खारिज कर सकता है प्रतिवादीगण ने इस बाद से पूर्व कभी सक्षम अधिकारी के यहा आवंटन को निरस्त कराने अथवा आवंटन का कब्जा हटाने की कार्यवाही करवायी नही करवाई जबकि आवंटन का वर्ष 1972 है जिसको काफी लम्बा समय व्यतीत हो चुका है ओर वादीगण के तर्क एवम साक्ष्य के अनुसार आवंटी ने भारी लागत लगा दी है वादीगण ने मिलान खसरे की नकल पेश कर जिस खसरा नम्बर को अपने खाते मे दर्ज कराने का अनुतोष मांगा है वह भी सिद्व हुआ है इसलिए इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष मे किया जाता ।

लगातार पेज संख्याः–07

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

तनकी न0 02 :–

इस तनकी को सिद्व कराने का भार वादीगण पर है जो रेकर्ड न्यायालय में आवटन सम्बन्धित पेश हुआ है उससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त जायदाद आवंटी को आवटित हुयी उसकी कियान्वती भी मोके पर की गयी इसके सम्बन्ध में आवंटन सामग्री उपलब्ध है साथ ही नये बने नम्बरान का मिलान खसरा भी उपलब्ध है।कब्जे वाले कालम में आवटी का नाम दर्ज है इससे स्पष्ट है कि आवंटी को जिस स्थान का कब्जा दिया गया उसी नम्बर वाले स्थान पर उसका कब्जा है। प्रतिवादीगण यह स्पष्ट नही कर पाये की खसरा सख्या 202/2 उनके खाते मे से आयी। क्योकि जो सिलिग प्रकरण चला उसमे जागीरदार की खातेदारी मे दर्ज भूमि उसके पास सिलिग अधिनियम रखे जाने योग्य भूमि उसके लिये छोडी गयी जिसमे उसके परिवार की यूनिट बनाकर जमीन उनकी खातेदारी मे छोडी गयी। यह तो स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के पूर्वज ही गांव गुढा के जागीरदार थे व प्रतिवादीगण के पूर्वज छूट भाईयो मे थे रूल आफ प्रिमिजीनेचर के अनुसार गद्दासीन जागीदार ही सम्पूर्ण जागीर सम्पति का मालिक था ओर छूट भया को गुजर लायक सम्पति दी जाती थी। इसलिए जागीरदार ने जो भूमि सरेण्डर के ओपशन के तहत भूमि सरेण्डर की वह अवाप्त कर ली गयी ओर उसी का आवंटन आवटियो को किया गया। यदि सरेण्डर की कार्यवाही मे नम्बरान इधर उधर कर दिये गये तो इससे सिलिग की अवाप्ती कार्यवाही पर कोई फर्क नही पडेगा। न ही जिसके खाते मे सिलिग कार्यवाही के विपरित भूमि किसी खातेदार के खाते चढायी गयी ओर बन्दोबस्त कार्यवाही मे उसी के नम्बर जो बने उसे खातेदार व्यक्तिगत खातेदारी की भूमि दर्ज की गयी है तो वह सही नही है प्रतिवादीगण ने अपने तर्क के समर्थ मे वे ही प्रारम्भ से खातेदार है राजस्व रेकर्ड एवम साक्ष्य प्रस्तुत नही की जो रेकर्ड पेश किया गया वह भी सिलिग कार्यवाही का समकालीन है। इसलिए इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी कम 3

उक्त तनकी को सिद्व कराने का भार भी वादीगण के जिम्मे है। प्रस्तुत आवंटन रेकर्ड से यह साबित है कि आवंटी को मोके पर कब्जा दिया गया मिलान खसरा मे भी आवंटी का कब्जा दर्ज है उससे भी स्पष्ट है कि आवंटी का कब्जा भी चाही गयी खातेदारी भूमि पर है जिसको मिलान खसरे के इन्द्राज एवम अपनी ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से भर सिद्व करवाया है कि वादीगण का जिस खसरा नम्बर की भूमि को अपने नाम करवाना चाह रहा है। उस पर वादीगण का जरिये काश्त के कब्जा है स्थाई फेसिग होकर सिचाई का साधन बना हुआ है। प्रतिवादीगण ने केवल इस आधार पर बचाव लिया है कि भूमि वर्तमान मे उनके खाते मे है गलत आवंटन से आवंटी को भूमि का आवंटन हुआ है। केवल खातेदारी मे भूमि दर्ज हो जाने से अब तक वैध खातेदार होना प्रतिवादीगण साबित नही करवाते वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिये जाने से इन्कार नही किया जा सकता। जो राजस्व रेकर्ड वादीगण ने पेश किये है उससे स्पष्ट है कि सिलिग की कार्यवाही से अवाप्त हुयी भूमि मे ही आवंटी को आवटन हुआ है व कब्जा भी दिया गया है यह नही माना जा सकता कि राजस्व अधिकारियो ने किसी अन्य खातेदार के खाते मे दर्ज भूमि का आवंटन राजस्व रेकर्ड के विपरित किया गया हो। वादीगण ने प्रतिवादीगण के द्वारा उनके कब्जे वाली भूमि मे जबरन कब्जा करने के प्रयास के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है साथ ही आवटित भूमि प्रतिवादीगण खातेदार के खाते मे भूमि दर्ज होने का कथन करते हुये खातेदारी समाप्त की जाकर वादीगण को खातेदारी दिये जाने का अनुतोष मांगा है। प्रतिवादीगण जरिये कोस क्ले मे आवंटन अवेध घोषित कराने का भी अनुतोष नही मांगा है न ही वादपत्र प्रस्तुत होने बाद सक्षम न्यायालय मे आवंटन को खारिज कराने के लिए सक्षम न्यायालय मे कोई कार्यवाही करवायी है। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त जायदाद पर उनका कब्जा है किसी निष्पक्ष साक्ष्य द्वारा साबित भी नही करवाया है कि किस रूप मे वे काबिज है न ही कोस क्लेम द्वारा वादीगण का कब्जा हटाने का अनुतोष मांगा गया है इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष मे किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी

लगातार पेज संख्याः–08

Scanned with OKEN Scanner

तनकी न0 4

उक्त तनकी को वादीगण के जिम्मे किया जाना तनकी पर्चा में अंकित किया गया है जबकि तनकी को पढने से स्पष्ट है कि इसको सिद्व करवाने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे होना चाहिये।

इसको ध्यान मे रखते यह तनकी प्रतिवादीगण के जिम्मे की मानते हुये निर्णय किया जाना उचित प्रतित होता है।

वादीगण द्वारा 88 रा0टि0एक्ट के तहत वाद लाया गया है उसके लिए मियाद सीमा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दी गयी सारणी मे तय नही की गयी है हितबद्व व्यक्ति कभी भी खातेदारी लेने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है कानून के अवलोकन से यह स्थिती स्पष्ट हुयी है। इसलिए वादीगण के वाद का अवधि पार होना नही माना जा सकता है।

यहा यह उल्लेख करना न्यायालय उचित समझता है कि राजस्व रेकर्ड का सही तरिक्के से पोषण करना ओर राजस्व रेकर्ड मे घटनानुसार प्रविष्टिया करना राजस्व कर्मचारियो के कर्तव्यो मे है। आवंटन के आधार पर आवंटी के खाते मे भूमि दर्ज करने मे यदि सम्बन्धित राजस्व कर्मचारियो ने उदासीनता व लापरवाही बरतते हुये नही की है तो इसके लिए न तो आवंटी की गलती मानी जा सकती है न वादीगण का अनुतोष स्वीकार करने से इन्कारी की जा सकती है। राजस्व रेकर्ड मे समय के चलते उसके खाते मे भूमि दर्ज नही की गयी। उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्व किया जाता है।

तनकी न0 5

यह तनकी प्रतिवादीगण के जिम्मे की है प्रतिवादीगण ने यह स्पष्ट नही किया है कि किस प्रकार आवंटी के यह कथन करके आये है कि जिस स्थान पर वादीगण मोजा आटी की वादग्रस्त भूमि पर काबिज हो काश्त करना कह कर आये है वहा उनका कब्जा नही है इसलिए प्रतिवादीगण के संज्ञान मे दावा पेश करने की दिनांक से है कि वादीगण का कब्जा किस स्थान पर है। वादीगण ने जो आवंटन के पश्चात तहसीलदार मोके पर आवंटन आदेश की पालना मे आवंटी को कब्जा दिया गया नक्शा भी पेश हुआ है जो स्पष्ट करता है कि वादीगण को किस स्थान पर कब्जा दिया गया। उक्त प्रकरण मे तहसीलदार भी एक पक्ष है जिसने वादीगण के वाद का जवाब प्रस्तुत कर आवंटन व उसकी पालना मे कब्जा आवंटी को दिये जाने से इन्कार नही किया है। इसलिए इस तनकी निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्व किया जाता है।

तनकी न0 6

यह तनकी प्रतिवादीगण के जिम्मे की है इसका निर्णय भी तनकी न0 4 के विस्तृत निर्णय के समय किया जा चुका है इसलिए पुनः उन्ही तथ्यो को दोहराते हुये निर्णय किया जाता है उसी अनुसार इस तनकी का प्रतिवादीगण के विरूद्व किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी (बिजौलियाँ भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

तनकी सख्या 7

इस तनकी को सिद्ध करवाने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे है । प्रतिवादीगण व तहसील द्वारा यह कथन नही किया गया कि जिस खसरा नम्बर की भूमि की खातेदारी मांगी गयी उस बाबत वादीगण के कोई अधिकार नही है क्योकि उन्हे भूमि का आवंटन नही किया गया है जबकि वादीगण ने आवंटन आदेश से लेकर कब्जा देने की सारे राजकीय कार्यवाही के दस्तावेज पेश किये है इसलिए उन्हे कानूनी अधिकारिता है कि आवंटित भूमि को अपने नाम करवाने हेतु घोषणा का वाद प्रस्तुत करे। इसलिए यह नही माना जा सकता है कि वादीगण को वाद लाने की लोकस स्टेण्डी नही है। इसलिए उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्व किया जाता है।

तनकी न0 8

इस तनकी को सिद्व करवाने का भार प्रतिवादीगण पर है किसी भी तनकी का निर्णय पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो के परिपेक्ष एवम पत्रावली पर आयी साक्ष्य से किया जाना निदेर्शित है जो आवंटन सूची उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ की पेश हुयी है इसके अतिरिक्त आवंटन कार्यवाही की पालना मे तैयार किये गये दस्तावेज भी पत्रावली पर मोजूद है। प्रतिवादीगण ने किसी दस्तावेज या साक्ष्य से यह साबित नही करवाया है कि खसरा सख्या 202 के टुकडे किये जाकर खसरा सख्या 202/2 कब अलग दर्ज किया गया। यदि खसरा सख्या 202/2 जो खसरा सख्या 202 के टुकडे कर दर्ज किया गया। आवंटन के समय यदि प्रतिवादीगण उसके खातेदार थे तो उन्हे आवंटन अधिकारी के समक्ष उजरदारी पेश करनी थी या आवंटन को निरस्त कराने के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील या निगरानी पेश करनी थी प्रतिवादीगण आवंटन को निरस्त कराने की कोई कार्यवाही नही की न कोई क्रोस क्लेम बाद मे पेश किया है न्यायालय को यह विश्वास दिलाने की कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नही है कि आवंटन की कियान्वती खातेदारो की खातेदारी भूमि मे की गयी। न ही तहसीलदार जो प्रकरण मे पक्षकार है उसने आपती की है कि आवंटी को आवंटित भूमि का सेवन से प्रतिवादीगण की खातेदारी मे कियान्वती कर दी गयी। इसलिए उक्त तनकी निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्व किया जाता है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा वादग्रस्त जायदाद की वर्तमान जमाबन्दी पेष की गई तथा वादग्रस्त जायदाद का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 के कायम मुकाम कमलेष कंवर द्वारा दौराने कार्यवाही प्रकरण विकय किया जाना जाहिर किया वादग्रस्त जायदाद की वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर आया है कि दौराने कार्यवाही प्रकरण प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम कमलेष कंवर द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 447 व 448 में अपना 1/6 हिस्सा चोसर पत्नि गोपाल बंजारा निवासी मांगू की बालद नयानगर तहसील बिजौलियां को विकय कर दिया है ऐसा विकय धारा 52 सम्पती हस्तान्तरण अधिनियम के अनुसार प्रभावहीन है क्योंकि प्रतिवादीया कमलेष कंवर ने न्यायालय की बिना अनुमती के भूमि विकय की है केता को उससे कोई अधिकार प्राप्त नही होते है इसलिये जो भी डिकी मोजुदा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित की जा रही है वह केता चोसर बंजारा पर भी प्रभावषील होगी क्योंकि विवादीत आराजिया बाबत् सन् 2005 में ही न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत कर मुल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेष पारीत कर रखे थे जिसकी जानकारी प्रतिवादी गण को थी फिर भी उनके द्वारा भूमि विकय कर दी गई।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

–ःआदेशः–

वादपत्र मे तनकी सख्या 1 से 3 का निर्णय वादीगण के पक्ष मे ओर तनकी सख्या 4 से 8 तक निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्व न्यायालय द्वारा किया गया है इसलिए वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है वादीगण को मौजा आटी पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियां स्थित आराजी खसरा नम्बर 447 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 448 रकबा 6 बीघा कुल रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसके साथ ही राजस्व अभिलेखो मे उपरोक्त भूमि को प्रतिवादीगण एवं केता चोसर पत्नि गोपाल बंजारा निवासी मांगू की बालद नयानगर तहसील बिजौलियां के खाते से कम की जाकर वादीगण के खाते मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण एवं चोसर बंजारा को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे वाली भूमि मे वादीगण को काश्त करने मे बाधा उत्पन्न नही करे न जबरन कब्जा कर भूमि को अपने कब्जे मे लेवे।

निर्णय अनुसार डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे निर्णय आज दिनांक 19/07/23 को लिखाया जाकार खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दप्तर की जावे।

(सीमा तिवाडी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी आर0ए0एस0

राजस्व प्रकरण संख्या 19/2010 दायर तारीख 12.04.2010

निर्णय दिनांक:- 19/07/2023

अनवान

01. शंकर लाल पिता देवीलाल जाति खाती उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
02. उंकार पिता देवीलाल जाति खाती उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
03. बंशी लाल पिता देवीलाल जाति खाती उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
04. मोडी बाई पिता देवीलाल जाति खाती उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
05. द्वारका पिता देवीलाल जाति खाती उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
06. कल्ली पिता देवीलाल जाति खाती उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
07. संतोष पिता देवीलाल जाति खाती उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

..........................वादीगण

बनाम

01. संग्राम सिंह पुत्र शम्भु सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां

...............मृतक

1.1 कमलेश कंवर पत्नि संग्राम सिंह राजपूत उगम कंवर पुत्री संग्राम सिंह जाति राजपूत उम्र नाबालिग मार्फत माता
1.2 कमलेश कंवर पत्नि संग्राम सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग
1.3 युवराज सिंह पिता संग्राम सिंह जाति राजपूत उम्र नाबालिग मार्फत माता कमलेश कंवर पत्नि संग्राम सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

02. तेज सिंह पिता शम्भु सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां

...............मृतक

2.1 वीर प्रताप सिंह पिता तेज सिंह जाति राजपूत उम्र नाबालिग जरिये माता सरोज कंवर पत्नि तेज सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग
2.2 सरोज कंवर पत्नि तेज सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां

03. रघुवीर सिंह पिता शम्भु सिंह जाति राजपूत निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां

3.1 ओमेन्द्र कंवर पत्नि शम्भु सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी राणाजी का गुढा

04. जनारदन सिंह पिता शम्भूसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग पेषा खेती निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां
05. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियां

.....................प्रतिवादीगण

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्याः-02

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित अधिवक्ता वादीगण श्री गिरधारी लाल आचार्य
उपस्थित अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री जगदीश चन्द्र धाकड़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88—188 रा0का0अधि0

डिक्री दिनांक :— 19/07/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां बहाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री गिरधारी लाल आचार्य एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:—

वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है वादीगण को मौजा आटी पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियां स्थित आराजी खसरा नम्बर 447 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 448 रकबा 6 बीघा कुल रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसके साथ ही राजस्व अभिलेखो मे उपरोक्त भूमि को प्रतिवादीगण एवं केता चोसर पत्नि गोपाल बंजारा निवासी मांगू की बालद नयानगर तहसील बिजौलियां के खाते से कम की जाकर वादीगण के खाते मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण एवं चोसर बंजारा को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे वाली भूमि मे वादीगण को काश्त करने मे बाधा उत्पन्न नही करे न जबरन कब्जा कर भूमि को अपने कब्जे मे लेवे। डिक्री मुर्तिब हो।

नीज ....Nil..........मुबलिग ....Nil.......... फीस दी बाबत् .... Nil .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....का अदा सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil .... करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.... माह 07 वर्ष 2023 को जारी किया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ( )	—		महनताना वकील ( )	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीश्नर	—		फीस कमीश्नर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner